आदेश अधीन धारा 3 आफ पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918

जैसा कि सर्व विदित है कि दिनांक 04.05.2020 से भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस–19 माहामारी की रोकथाम के लिए हरियाणा राज्य सहित सम्पूर्ण/समस्त भारत को आगामी (17.05.2020) तक लाकडॉउन के आदेश जारी किए हैं जिसके दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति से सम्पर्क मे आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है। इस महामारी के रोकथाम के दृष्टिगत सम्पूर्ण जिला कैथल के सभी गांवों/स्थानिय निकायों में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं **'सुजान सिंह, भा0प्र0से0' जिलाधीश, कैथल** पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कैथल की सभी ग्राम पंचायतों/स्थानिय निकायों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित करता हुँ। यह आदेश लॉकडाउन अवधि के दौरान आज से **दिनांक 17--05–2020** तक लागू होगें।

इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल/तहसीलदार/उप तहसीलदार/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत/स्थानिय निकाय की होगी। सभी थाना प्रबन्धक भी इस मामले में सम्बन्धित नगर परिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचातों से सम्पर्क बनाए रखेंगे। इन आदेशो का प्रचार जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कैथल/तहसीलदार/उप तहसीलदार/ स्थानिय निकाय/विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों द्वारा करवाया जाएगा

इन आदेशों को उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दि पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश लॉकडाउन अवधि के लिए दिनांक 3.5.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रांक सहित जारी हुए।

जिलाधीश, कैथल।

पृ0 क्रमांक 29220 - 340 /एम0ए0 दिनांक - 03/05/2020

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ।
4. मण्डल आयुक्त, करनाल मण्डल, करनाल।
5. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
6. महानिरीक्षक पुलिस, करनाल मण्डल, करनाल।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल।
8. राज्य के सभी उपायुक्त।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
10. पुलिस अधीक्षक, कैथल।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0), कैथल/गुहला/कलायत।
12. जिला राजस्व अधिकारी, कैथल।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
14. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
15. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, कैथल।
16. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, कैथल।
17. सचिव, नगरपालिका, चीका/पूण्डरी/कलायत/राजौन्द।
18. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
19. आशुलिपिक/उपायुक्त।
20. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कैथल को भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त आदेशों को जिला कैथल की वैबसाईट पर अप–लोड करने का कष्ट करें।

DISTRICT MAGISTRATE KAITHAL

जिलाधीश, कैथल।